कार्यालय मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः मु.अ./अ.अ.(भवन)/डी– दिनांकः .07.2012

परिपत्र

विषयः– समस्त निर्माण कार्यों के सम्पादन के क्रम में।

समस्त निर्माण कार्यों को पूर्ण करने में विविध प्रकार की कार्यवाहियाँ अपेक्षित होती हैं। डी.पी.आर. बनाने से पूर्व मौके पर उपयुक्त भूमि का चयन एवं उपलब्धता एवं तदनुसार विभाग द्वारा अधिग्रहण, साईट प्लान का अनुमोदन, आर.सी.सी. एवं वर्किंग डिजायन एवं ड्राईंग तैयार करना इत्यादि गतिविधियों को पूर्ण एंव अंतिम रूप देना अनिवार्य होता है। विशेष परिस्थितियों में इन गतिविधियों के कियान्वयन में देरी होने के कारण सम्पूर्ण परियोजना की कार्य समाप्ति अवधि बढ़ जाती है एवं साथ ही प्रचलित बाजार दरों में इस अंतराल में हुई वृद्धि के कारण निर्माण लागत भी बढ़ जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विभाग के सभी अतिरिक्त मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता यह सुनिश्चित करेंगें कि अपरिहार्य कारणों/प्रशासनिक कारणों से ड्रांईग, डिजायन तैयारी अथवा भूमि चयन/परिवर्तन में हुए विलम्ब के कारण तदनुसार कार्यादेश में निर्धारित समयावधि में वृद्धि को आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के स्तर पर उत्तरदायित्व मानते हुए स्वीकृत करायेंगे एवं उसके अनुरूप कोस्ट एस्केलेशन (यदि देय हो) भी स्वीकृत करायेंगे एवं कार्य की समयावधि (कार्य पूर्ण होने की तिथि) पूर्ण होने के उपरान्त भी यदि कार्य के किसी भाग में बाधा रहती है तो कार्य के उस भाग को अनुबन्धानुसार विड्रा किया जावेगा।

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता
सा.नि.वि. वृत-अजमेर
पत्र प्र.क्र. 2831 ..दिनांक 24/7/12
का.स./स.ले.अ./त.स./अधी.अभि

(हजारी लाल मीणा)
मुख्य अभियंता एवं अति० सचिव,
सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः मु.अ./अ.अ.(भवन)/डी– 529 दिनांक : 13.07.2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
3. शासन सचिव, सा.नि.वि. राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. (पथ/एन.एच./एस.एस./पी.एम.जी.एस.वाई.) राज. जयपुर।
5. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
6. अति० मुख्य अभियंता, सा.नि.वि. सम्भाग–...अजमेर.......(समस्त)।
7. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि. वृत्त–..........(समस्त)/भवन/पथ/ एन.एच./एस.एस./ पी.एम.जी.एस.वाई.।
8. अधिशाषी अभियंता, सा.नि.वि. खण्ड–..........(समस्त)।

13/7/12
(हजारी लाल मीणा)
मुख्य अभियंता एवं अति० सचिव,
सा.नि.वि., राजस्थान जयपुर।

E:\RM & NK 2012-13 (04.06.12)\Hindhi 2012-13 (04.06.12).doc94